भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1939

01 अगस्त, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"फेम इंडिया योजना के अंतर्गत गलत तरीके से दावाकृत राजसहायता के लिए शास्तियां"

1939. श्री गौतम गंभीर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना के अंतर्गत गलत तरीके से दावाकृत राजसहायता के लिए शास्तियां लगाने की योजना अथवा रणनीति पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): भारी उद्योग मंत्रालय को पिछले 18 महीनों में फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के तहत मुख्यतः दो पहलुओं यानी पीएमपी अनुपालन और एक्स-फैक्टरी मूल्य के उल्लंघन के संबंध में 17 मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के खिलाफ शिकायतें मिली थीं। इसके अलावा, जिन शिकायतों के मामले में विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, वहां आर्थिक प्रोत्साहन भुगतान रोक दिया गया था।

आरोपित मूल उपकरण विनिर्माताओं के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए :

i. मांग प्रोत्साहन का संवितरण स्थगित कर दिया गया।

ii. विस्तृत जांच के लिए मामला भारी उद्योग मंत्रालय की परीक्षण एजेंसियों को भेजा गया।

आरोपित मूल उपकरण विनिर्माताओं के मामले में परीक्षण एजेंसियों की रिपोर्ट की जांच के बाद यह पाया गया कि छह मूल उपकरण विनिर्माताओं ने पीएमपी का पूरी तरह से अनुपालन किया था, जबकि अन्य सात ओईएम को पीएमपी मानदंडों का उल्लंघन करते पाया गया।

इसके अलावा, चार मूल उपकरण विनिर्माताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के ग्राहकों/खरीदारों को एक्स-फैक्ट्री मूल्य के उल्लंघन के लिए अतिरिक्त राशि वापस करने पर सहमति व्यक्त की है।

***